

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
पत्रांक 3414/10-6 दिनांक 05.01.2022

निविदा सूचना

(वर्ष 2022 लीसा फसल हेतु खाली टिनो की आपूर्ति)

इस कार्यालय के पत्रांक 2355/10-6 दिनांक 22.12.2021 द्वारा वर्ष 2022 लीसा फसल हेतु खाली टिनो की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। मोहरबंद निविदाएं जो दिनांक 04.01.2022 को अपराह्न 02:00 बजे तक प्राप्त हुईं को दिनांक 05.01.2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे एतदर्थ गठित क्रय समिति द्वारा खोला गया।

सभी प्राप्त निविदाओं की दरें वर्ष 2022 लीसा फसल हेतु स्वीकृत ऑन इन कॉस्ट की दर से अधिक प्राप्त होने के कारण सभी प्राप्त निविदाओं को अस्वीकृत करते हुए दिनांक 12.01.2022 को खाली टिनो की आपूर्ति हेतु पुनः निविदाएं आमंत्रित की जाती है। मोहरबंद निविदाएं दिनांक 12.01.2022 को अपराह्न 02:30 बजे तक वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त धार की तूनी, सिटोली, अल्मोड़ा (पिन कोड-263601) कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिये। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन (दिनांक 12.01.2022) को पूर्वाह्न 03:00 बजे से एतदर्थ गठित क्रय समिति द्वारा खोली जायेंगी।

खाली टिनो की आपूर्ति हेतु निविदा की समस्त निविदादाताओं हेतु निर्देश, अनुबन्ध की शर्तें एवं प्रतिबन्ध इस कार्यालय के पत्रांक 2355/10-6 दिनांक 22.12.2021 द्वारा जारी निविदा सूचना अनुसार यथावत लागू होगी। जिन निविदादाताओं द्वारा दिनांक 04.01.2022 को अपराह्न 02:00 बजे तक निविदाएं दी हैं। ऐसे सभी निविदादाताओं द्वारा जमा प्रतिभूति, टर्नओवर, बैलेन्स सीट, आयकर विवरणिका एवं जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इन निविदादाताओं को पृथक से उक्त तकनीकी निविदा पुनः संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे निविदादाता केवल वित्तीय निविदा ही देनी होगी तथा प्रत्येक पैकेज के लिए टैण्डर फार्म का मूल्य रू0 500.00 एवं उस पर देय जी0एस0टी0 18 प्रतिशत की दर से रू0 90.00 का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, अल्मोड़ा में देय बैंक ड्राफ्ट जो वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पद नाम से जारी हों, पृथक - पृथक बनाकर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है तथा निविदा के साथ शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि मेरे द्वारा दिनांक 04.01.2022 की निविदा में प्रतिभाग किया गया।

(प्रवीण कुमार)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 3414 / 10-6 दिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को, निविदा सूचना दस्तावेज की प्रति सहित सूचनार्थ / प्रचार - प्रसारार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊँ), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराण्ड, पौड़ी।
6. मुख्य वन संरक्षक प्रचार-प्रसार देहरादून।
7. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, पश्चिमी वृत्त, शिवालिक, यमुना, भागीरथी एवं गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड।
8. जिलाधिकारी अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत व पिथौरागढ़, नैनीताल।
9. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरी कुमाऊँ वृत्त एवं प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल।

(प्रवीण कुमार)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 3414 / 10-6 दिनांकित।

प्रतिलिपि - मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को विभागीय बैबसाइट में अपलोड करने हेतु।

(प्रवीण कुमार)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 3414 / 10-6 दिनांकित।

प्रतिलिपि - नोटिस बोर्ड एवं सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

(प्रवीण कुमार)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।